



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092022-239095
CG-DL-E-24092022-239095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 2022/आश्विन 1, 1944

No. 4309]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022/ ASVINA 1, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2022

का.आ. 4498(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेघालय राज्य में नार्थ-ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी-शिलांग-सिलचर-पानीसागर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, मेघालय राज्य, को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची					
सी.डी. ब्लोक : थडलास्किन		जिला : वेस्ट जयंतिया हिल्स	राज्य : मेघालया		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	थडमुसेम	सी 96-001	00	61	34
		नोंगख्रोह-थडमुसेम पी डब्ल्यू डी रोड	00	01	90
		सी 96-002	01	12	26
		मावलसनई-नर्तियांग पी डब्ल्यू डी रोड	00	01	29
		सी 96-001	02	07	63
		नाला	00	07	04
		सी 96-001	02	03	35
		नाला	00	07	03
		सी 96-005	00	18	10

[फा. सं. एल -14014/191/2022- जीपी-II (ई-44409)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2022

S.O. 4498(E).—Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Guwahati-Shillong-Silchar-Panisagar Section of North-East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Meghalaya, a pipeline should be laid by M/s Indradhanush Gas Grid Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, M/s Indradhanush Gas Grid Limited, State of Meghalaya.

SCHEDULE					
C.D. Block : Thadlaskein		District:- West Jaintia Hills	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Thadmuseum	C96-001	00	61	34
		Nongkhroh-Thadmuseum PWD Road	00	01	90
		C96-002	01	12	26
		Mawlasnai-Nartiang PWD Road	00	01	29
		C96-001	02	07	63
		Nala	00	07	04
		C96-001	02	03	35
		Nala	00	07	03
		C96-005	00	18	10

[F. No. L -14014/191/2022- GPII-(E-44409)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.